मूल वाद संख्या 2023/043

फर्द अहकाम अन्तर्गत नियम 26
न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर
राजेश व अन्य बनाम गुरचरण सिंह व अन्य
विविध प्रार्थना संख्या 2023/033
अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

आदेश दिनांक	आदेश अथवा कार्यवाही विवरण	आदेश क्रमांक एवं दिनांक
17.05.2023	वकील प्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए का पेश किया। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। अधिवक्ता प्रार्थी को एक पक्षीय सुना गया। बहस अधिवक्ता, शपथ–पत्र एवं सलंग्न दस्तावेजात के आधार पर अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि उभयपक्ष प्रश्नगत आराजी 4 सी बडी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर, पटवार हल्का ओडकी, भू0अ0नि0 क्षेत्र हिन्दूमलकोट के खाता संख्या 38/26, मुरब्बा नं0 46 व 27 में संयुक्त खाता में कुल 5.9580 हैक्टे0 मय खाला नहरी कृषि भूमि में से मु0 नं0 46 का किला नं0 2, 9, 12, 19, 22 को रहन, बैय करने से निषिद्ध रहें एवं मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। इस संबंध में कोई उज्र/ऐतराज हो तो वकालतन/असलतन आगामी तारीख पेशी तक पेश करे। वकील प्रार्थीगण रजिस्टर्ड ए.डी. से तामील करवाकर 7 दिवस में रसीदें पेश करे। इसके अभाव मे अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः निरस्त मानी जावेगी। अप्रार्थी के नाम से रजिस्टर्ड नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 14 जून, 2023 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर एव कार्यापालक दण्डनायक (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर	
14.06.23	अधिवक्ता वादी उप. / प्रतिवादी नं. 04 व 05 को जारी रजिस्ट्री नोटिस अदम तामील [illegible] प्रतिवादी नं. 06 को जारी नोटिस प्राप्त, प्रतिवादी नं. 06 [illegible] पर प्रतिवादी नं. 06 [illegible] होने की [illegible] जारी नोटिस गई। शेष प्रतिवादीगण को जारी [illegible] / अदम तामील प्राप्त [illegible] वादी प्रतिवादीगण [illegible] सं. 06 के [illegible] पेशी पर आवश्यक रूप से उपस्थित करें [illegible] पत्रावली वास्ते तामील एवं [illegible] हेतु दिनांक 05.07.23 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.15 11:09:10 IST
Reason: SelfAttested

08.01.25.

अधिवक्ता [illegible] उप० प्रार्थी अधिवक्ता, अप्रार्थिया ·03 की तामील हेतु
को अप्रार्थिया आदेश [illegible]
पूर्व के पारित आदेश को करने [illegible]
दिनांक 17.12.24 को। परन्तु प्रार्थी अधिवक्ता
[illegible] की तामील आदेश
के अनुसार सं. 03 [illegible] प्रार्थी अधिवक्ता
तक नहीं करवाई [illegible] आवश्यक
अप्रार्थी सं. ·03 की तामील आवश्यक
है पूर्व आदेश के कारण
न्यायालय आदेश 9 नियम 5 CPC
के तहत कार्यवाही अमल में लायी
जानी। पत्रावली वास्ते तामील हेतु
दिनांक 17.02.25 को पेश हो।

17/01/25

अधिवक्तागण उप० प्रार्थी अधिवक्ता,
को अप्रार्थीगण सं. 03 की तामील हेतु
पूर्व में पारित आदेश दिनांक
08/01/25 को आदेश 9 नियम 5 CPC
के तहत कार्यवाही करने की हिदायत दी
गई थी। परन्तु प्रार्थी अधिवक्ता ने
अप्रार्थीगण की तामील आदिनांक तक नहीं
करवाई है। प्रार्थी अधिवक्ता, आइंदा
पेशी तक अप्रार्थी सं. 03 की तामील हेतु
पंजीकृत [illegible]
प्रकरण में आदेश 9 नियम 5 CPC के तहत
कार्यवाही की जाकर [illegible]
2023/033, [illegible]
गुरुचरण सिंह व अन्य [illegible]
खारिज किया जाता है। पत्रावली [illegible]
[illegible]
[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.15 11:09:10 IST
Reason: SelfAttested